सूचना आयोग प्रकाशन : 6/2006
UIC Publication : 6/2006

प्रथम संस्करण : 8000

सत्यमेव जयते

सूचना कू अधिकार अधिनियम 2005

आपू जो जानकारी चाँछा
या
जो सवाल अक्सर करी जानी

Most Frequently Asked Questions

उत्तरांचल सूचना आयोग

सेक्टर 1, सी–10, डिफेन्स कॉलोनी
देहरादून–248001 दूरभाष:0135–2666778,
फैक्स : 0135–2666779

– निवेदन –

सूचना का अधिकार का बारा में सरल भाषा में जानकारी और ये तैं और उपयोगी और सरल बणौण का वास्ता कृपया सुझाव दिया/भेज्या।

कुमाऊंनी अनुवाद

सवाल यो कानून कब बटि लागू छू ?

जवाब सूचना को अधिकार कानून 12/10/2005 बटि लागू है गौ।

सवाल यो कानून हमार देष में काँ–काँ लागू छू ?

जवाब जम्मू व कष्मीर छोड़ि पूर देष में लागू छू?

सवाल सूचना को मतलब के छू ?

जवाब सूचना को मतलब छू यसि कोई लै सामग्री चाहे ऊ रिकार्ड का रूप में छू, अभिलेख का रूप में छू, मैमो का रूप में ले है सकैं, ई मेल का रूप में ले है सकैं, यसि सामग्री जै में विचारों को प्रकटीकरण ले है सकूं, सुझावाक् रूप में ले है सकैं। येक अलावा जारी करी गई प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, सरकारी ऑर्डर ले सूचना मानी गै। गाड़िनैंकि लांग बुक, परियोजना कि ठेका (अनुबन्ध), रिपोर्ट, कागजात, नमूना, मॉडल या इलैक्ट्रानिक रूप में कई प्रकाराका डाटा जो राखी जनान। यौं सब सूचना कि परिभाशा में ऊंनी।

सवाल सूचना अधिकार को अर्थ और येको मतलब के छू?

जवाब सूचना अधिकार को मतलब छू

1. योजना, रिकार्ड और तमाम किस्मा का अभिलेखों को निरीक्षण करि सकना को अधिकार।
2. ये अधिकार का आधार पर कोई ले रिकार्ड व अभिलेखों को नोट प्राप्त करि सकूं। प्रतिलिपि व अधिकष्त प्रतिलिपि ले प्राप्त कर सकूं।
3. निर्माण या कसै ले प्रकारकि सामग्री को प्रमाणित नमुन/सैम्पल ल्ही सकूं।

सवाल सूचना कसिक प्राप्त करि सकीं, वीकी विधि के छू?

जवाब सूचना प्राप्त करणैलिजी सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी हूं लिखित में या फिर इलैक्ट्रानिक (ई–मेल) माध्यमले हिन्दी, अंग्रेजी या सम्बन्धित क्षेत्रै की राजकीय भाशा में अनुरोध करि जां। जो लै सूचना प्राप्त करण छूं वीको ठीक–ठीक विवरण प्रार्थना पत्र में दियी जाण जरूरी छूं।

सवाल सूचना उपलब्ध करूणैंकि समय सीमा के छूं ?

जवाब

1. प्रार्थना पत्र जमा करियां का 30 दिनों का भीतर सूचना प्राप्त करायी जांण जरूरी छूं।
2. यदि सूचनाको सम्बन्ध आदिमा का जीवन या स्वतंत्रता का दगाड़ छूं त यसि सूचना कै प्रार्थना पत्र प्राप्त हुंणा का 48 घंटा का भीतर उपलब्ध करायी जांण जरूरी छूं।
3. तय समया का भीतर लोक सूचना अधिकारी जब मांगी गयी सूचना न दी सकनीं त येको मतलब छूं कि सूचना प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दी गो, तब प्रार्थी येका खिलाफ वींहै ले ठुल अधिकारी हूं पहली अपील करि सकूं।

सवाल सूचना प्राप्त करण हूं फीस कदुक छूं?

जवाब

1. सूचना प्राप्ति की फीस औचित्यपूर्ण हुंण चैं। उसिक उत्तरांचल सरकारैल सूचना प्राप्ति को प्रार्थना पत्रैकि फीस केन्द्र सरकार का बराबर धरि राखी जो प्रति आवेदन पत्र 10 रूपयां छूं।
2. यो ले कई गोकि गरीबी रेखा बटि तल्ली रूंनी चिन्हित लोगन कैं सूचना प्राप्ति की फीस माफ छूं।

सवाल सूचना प्राप्ति को प्रार्थना पत्र कब व कसिक अस्वीकार करि सकीं ?

जवाम

1. सूचना अधिनियम में एक धाारा 8 छूं जै मैं यास चीजों को वर्णन छूं जो सूचना का अधिकार बटि वंचित राखीं गईं। सूचना की धारा 8 का अन्तर्गत ऊंनी विशयों का बार में मांगी गई सूचना अस्वीकार करि सकीं।
2. कॉपीराईट को उल्लंघन हुनांक स्थिति में ले सूचना अस्वीकार करि सकीं। यह व्यवस्था धारा 9 में दियी छूं। कॉपीराईट को अधिकार ज्यादा ठुल मानी गो।

सवाल ये अधिनियम का तहत लोक प्राधिकारी (Public Authority) ले की–की करण चैं?वीकें स्वतः ही को–को काम करण चैनांन?

जवाब सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) बी व धारा 4(2), 4(3) और 4(4) का अन्तर्गत यो कई गो कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी कैं 17 बिन्दुओं पर स्वयं है सूचना प्रकट करि दिणी चैं।

सवाल लोक प्राधिकारी को मतलब के छू ?

जवाब लोक प्राधिकारी एक यसि संस्था, यसो स्वायत्तषासी संगठन छू जो निम्न प्रकारैले स्थापित या गठित है सकूं।

1. भारतीय संविधान द्वारा या
2. ससंद में कानून बणै या
3. कैसे ले प्रदेष की विधान सभा में पारित कानून द्वारा
4. सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी यस आदेष या उद्घोशणा जैमे निम्न षामिल हुण चैं।

   अ) यस संगठन जैको स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त मात्रा में वित्त पोशण सरकार द्वारा हुण चैं।

   ब) यस गैर सरकारी संगठन जो सीधे व परोक्ष रूप में पर्याप्त मात्रा में वित्त पोशित हुंण चैं।

सवाल लोक सूचना अधिकारी को हूं ?

जवाब सूचना अधिकार अधिनियम अमल में ल्यूनाक लिजी प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा जरूरताका मुताबिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करी राखिन। यों लोक सूचना अधिकारी, षासन, सचिवालय, विभागाध्यक्ष स्तर, कमिष्नरी व जिला स्तर तथा आवष्यकतानुसार जिल्ल है ले तल्ली नामित करि गईं।

सवाल लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेवारी की–की छू ?

जवाब लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेवारी छू जन साधारण बटि प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अनुसार उनन कै सूचना उपलब्ध करूण। यदि क्वे लिखित में प्रार्थना पत्र न दी सकन तो वींस ले सूचना प्राप्त करण में मदद करना की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की छू, यसि स्थिति में प्रार्थना पत्र लिखित रूप में ल्हीनाकि तै लोक सूचना अधिकारी प्रार्थी की मदद करोल। यस नियम छू।

सवाल राज्य सूचना आयोग को गठन कै प्रकारै ले हूं ?

जवाब राज्य सरकार गजट में प्रकाषन करि राज्य सूचना आयोग को गठन करि सकैं। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हूं तथा राज्य को राज्यपाल अधिकतम 10 सूचना आयुक्त तैनात करि सकूं।

सवाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के छु और इनुकि योग्यता कि हुंण चै ?

जवाब 1. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को चुनावा का लिजी एक चयन समिति हूं जैका अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी हुंनी तथा द्वी और सदस्यों में एक विरोधी दलों को नेता (नेता प्रतिपक्ष) तथा दुसर मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री हूं।

2. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसिद्ध और उच्चकोटिका व्यक्ति हुंण चैंनान। जननकै विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक कार्य, प्रबन्धन, पत्राचार, संचार, प्रषासन व अभिषासन में विषेशज्ञता हासिल हुंण चैं।

सवाल राज्य सूचना आयोग की षक्ति व कार्य की–की छन?

जवाब 1. राज्य सूचना आयोग की जिम्मेवारी छू कि वह यस लोगन की षिकायत प्राप्त करोल जनन कैं–

क–सूचना प्राप्ति का वास्ता प्रार्थना पत्र दिना में सफलता येका लिजी नी मिली क्योंकि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को नामाकंन न करीगो।

ख–मांगी गै सूचना अस्वीकर कर दी गै।

2. मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त कै सिविल कोर्ट की षक्ति मिलीं छन, जो निम्न छन –

क–संबंधित पक्षों कै हाजिर हुंणा लिजी सम्मन भेजण तथा उनन कैं मौखिक तथा लिखित बयान षपथ पूर्वक दिनाकि तैं निर्देष करण या उननकै अभिलेंख अथवा कै चीज हूं प्रस्तुत करना को निर्देष करणांकि कि षक्ति।

ख–अभिलेखों को निरीक्षण अथवा खोजबीन करना को निर्देष जारी करणकि षक्ति

ग–षपथ पत्र पर प्रमाण पत्र प्राप्त करण कि षक्ति।

घ–कैसे ले न्यायालय या कार्यालय बटि अभिलेख या वीकी प्रतिलिपियों को अधिग्रहण

ङ–साक्षियों या अभिलेखों की परीक्षा लिजी सम्मान जारी करण।

च–यस कोई ले कार्य जो अधिनियम का अंतर्गत प्राविधानित करी गो।

सवाल प्रगति रिपोर्ट की प्रक्रिया के छू?

जवाब उत्तरांचल सरकार हूं आयोग एक वार्शिक प्रगति रिपोर्ट भेजोलो। राज्य का प्रत्येक विभागै कि जिम्मेवारी छू कि वह प्रत्येक लोक प्राधिकारी बटि यह जानकारी प्राप्त करौकि सूचना अधिकार का अन्तर्गत कतुग अनुरोध पत्र मिलीं वींमें कतुग अस्वीकार करी गई और कतुग अपील दायर करी गयी। लोक सूचना अधिकारियों का विरूद्ध

कतुग प्रषासनिक कार्यवाही करी गै तथा फीस, फीसा का रूप में कुल कतुग आय प्राप्त करी गै। उत्तरांचल सूचना आयोग है प्राप्त वार्शिक रिपोर्ट कै राज्य सरकार विधान सभा में पेष करैली ताकि जनता कै मामुल ह्वै सकौ।

सवाल कै प्रकारैकि सूचना प्रकट न करी जा सकीं ?

जवाब यसि सूचना जैस प्रकट करणा का बाद भारतै कि प्रभुता व अखण्डता, राज्य कि सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेष दगाड़ा सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव या यसि सूचना जो अपराध करण हूं उकसावा दी वीकै प्रकट न करी जा सकी।

सवाल कतुग साल/समय पुरांणि सूचना मांगि सकीं ?

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करणां दिन है 20 साल पुरांणि सूचना मांगि सकीं।

सवाल सूचना मांगना लिजी कतुगै लोग ले मिली आवेदन करि सकनीं ?

जवाब हाँ! कतुगै ले मिली आवेदन करि सकनीं।